न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **153/21 (वाद)**

GCMS No. : 2021/300

1. श्री हरिसिंह पिता अर्जुनसिंह जी जाति राव, आयु 25 वर्ष, निवासी आसोलियों की मादड़ी, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
2. श्री भरतसिंह पिता अर्जुनसिंह जी जाति राव, आयु 22 वर्ष, निवासी आसोलियों की मादड़ी, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
3. श्रीमती अर्चना पुत्री अर्जुनसिंह जी जाति राव, आयु 27 वर्ष, निवासी आसोलियों की मादड़ी, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
4. श्रीमती रुक्मण पत्नी अर्जुनसिंह जी जाति राव, आयु 48 वर्ष, निवासी आसोलियों की मादड़ी, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज०)

.....वादीगण

बनाम्

1. श्री अर्जुनसिंह मुतबन्ना गुलाबसिंह जी जाति राव, आयु 50 वर्ष, निवासी आसोलियों की मादड़ी, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
2. श्रीमती शान्ताबाई पत्नी स्वर्गीय गुलाबसिंह जी जाति राव, आयु 79 वर्ष, निवासी आसोलियों की मादड़ी, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
3. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार (भूमिधारी) मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
4. श्रीमान् उप पंजीयक महोदय मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
5. शाखा प्रबन्धक महोदय, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (एस.बी.आई.) शाखा नाहरमगरा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
6. स्टारलेण्ड रियल स्टेट प्रा.लि. जरिए डायरेक्टर श्री आदित्य कोचर पिता श्री चेतन्य कोचर, आयु 33 वर्ष, निवासी न्यू नवरत्न कॉम्पलेक्स, न्यू नवरतन रोड़ अनन्त स्नेह हाईट्स के पास गिर्वा उदयपुर, जिला–उदयपुर (राज०)

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री कल्याण सिंह राव, अधिवक्ता वादी।

वाद अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 10.02.2026

1. वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88–188 में पेश कर निवेदन किया कि ग्राम आसोलियों की मादड़ी, पटवार हल्का बोयणा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र–डबोक, तहसील मावली जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 1254/470, 141, 142, 146, 147, 474, 477 किता 7 कुल रकबा 2.5091 हैक्टेयर भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या 02 के नाम स्वतंत्र खातेदारी हक से दर्ज है, उक्त कृषि भूमि में वादीगण का हक स्वत्व अधिकार होकर उक्त कृषि भूमि के वादीगण संयुक्त रूप से हिस्से अनुसार मालिक स्वामी है। उक्त कृषि भूमि तत्कालिन समय में प्रतिवादी

संख्या 02 के पति गुलाबसिंह एवं गुलाबसिंह के अन्य भाईयों देवीसिंह, वक्तावरसिंह, मानसिंह के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आ रही थी, गुलाबसिंह का देहावसान हो चुका है, उक्त कृषि भूमि का स्वर्गीय गुलाबसिंह के जीवनकाल में ही अर्थात तत्कालिन समय में खातेदारान के मध्य विधिक रूप से विभाजन हो गया, उक्त कृषि भूमि गुलाबसिंह की मृत्यु उपरान्त विरासत से प्रतिवादी संख्या 02 के नाम स्वतंत्र खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 02 के नाम स्वतंत्र खातेदारी हक से दर्ज है।

2. यह कि मूल पुरुष स्वर्गीय गुलाबसिंह का देहावसान तत्कालिन समय में अर्थात वर्ष 2002 के लगभग हो गया, प्रतिवादी संख्या 02 जो स्वर्गीय गुलाबसिंह की विधवा पत्नी है, गुलाबसिंह के जीवनकाल में प्रतिवादी संख्या 02 के कोई जायन्दा सन्तान उत्पन्न नहीं हुई, स्वर्गीय गुलाबसिंह की वर्ष 2002 के पूर्व से ही यह मंशा थी कि पुत्र गोद लिया जाए, जिस पर स्वर्गीय गुलाबसिंह द्वारा उनके जीवनकाल में पुत्र गोद लेने का निश्चय कर लिया गया व पुत्र गोद लेने का निश्चय करते हुए स्वर्गीय गुलाबसिंह द्वारा अपने जीवनकाल में प्रतिवादी संख्या 02 की पूर्ण सहमति से गुलाबसिंह द्वारा अपने भाई वगतावरसिंह उर्फ वक्तावरसिंह पिता गिरधारीसिंह राव के बड़े पुत्र अर्जुनसिंह को उसकी बाल्यावस्था में गोद देने हेतु निवेदन किया, जिस पर स्वर्गीय वगतावरसिंह उर्फ वक्तावरसिंह द्वारा अपनी पूर्ण सहमति से अपने बड़े पुत्र अर्जुनसिंह को सामाजिक रिति रिवाजानुसार गोद की सभी रस्मों को पूर्ण करते हुए गोद दिया व लिया गया, स्वर्गीय गुलाबसिंह जी का वृद्धावस्था में उनका स्वास्थ्य अक्सर खराब रहने से गोदनामा का पंजीयन नहीं करवा सके व गुलाबसिंह का देहावसान हो गया। गुलाबसिंह की मृत्यु उपरान्त दत्तक पुत्र के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए सामाजिक कार्यक्रम भी प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा ही सम्पन्न किए गए एवं स्वर्गीय गुलाबसिंह के जीवनकाल में उनकी व आज तक प्रतिवादी संख्या 02 की सेवा, सुश्रषा, देखभाल, भरण पोषण, ईलाज खर्च भी प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा ही किया जा रहा है, प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा अपने स्वर्गीय पति की मंशा व प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा अपनी पूर्ण सहमति से दिनांक 27–08–2004 को गोदनामा लिख सम्पादित कर उक्त गोदनामा का विधिवत् पंजीयन करवाया गया, उक्त गोदनामा पंजीयन उपरान्त प्रतिवादी संख्या 01 जो हम वादीगण के पिता/पति है, कानूनन स्वर्गीय गुलाबसिंह का मुतबन्ना (दत्तक पुत्र) कहलाया। वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या 02 के नाम अंकित कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 का स्वर्गीय गुलाबसिंह का दत्तक पुत्र होने की हैसियत से उक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का समान हक हिस्सा होकर मालिक स्वामी है, अर्थात

प्रतिवादी संख्या 01 का 1/2 हिस्सा है। वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 के विधिक वारिसान उत्तराधिकारीगण है, प्रतिवादी संख्या 01 स्वर्गीय गुलाबसिंह का दत्तक पुत्र (गोदपुत्र) विधिक वारिस उत्तराधिकारी होने से प्रतिवादी संख्या 01 के 1/2 हक हिस्से की कृषि भूमि में वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 के विधिक वारिसान उत्तराधिकारीगण होने से वादीगण का प्रतिवादी संख्या 01 के हक हिस्से की 1/2 हिस्सा कृषि भूमि में हक स्वत्व अधिकार होकर हिस्सा है, अर्थात वादीगण का उक्त कृषि भूमि में प्रत्येक का 1/10 हिस्सा होकर वादीगण उक्त कृषि भूमि के संयुक्त रूप से हिस्से अनुसार मालिक स्वामी है, वादीगण उक्त कृषि भूमि के संयुक्त रूप से हिस्से अनुसार मालिक स्वामी होने से हम वादीगण उक्त कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 के हक हिस्से की कृषि भूमि में हम वादीगण अपने अपने हक हिस्से की घोषणा करा उक्त कृषि भूमि हम वादीगण संयुक्त रूप से खातेदारी हक से घोषित कराने के अधिकारी है, अर्थात राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में हम वादीगण प्रत्येक का 1/10 हिस्सा घोषित कराने एवं हम वादीगण राजस्व रेकर्ड में अपने नाम का अंकन कराने की अधिकारिणी है।

3. यह कि वादीगण का प्रथम द्वष्टया मामला है, तथा सुविधा संतुलन एवं अशोधनिय क्षति के बिन्दु भी वादीगण के पक्ष मे है, हम वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 के जायन्दा पुत्र, पुत्री, (पत्नी) विधिक वारिसान उत्तराधिकारीगण है, वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या 02 के नाम स्वतंत्र खातेदारी हक से दर्ज है, उक्त कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 का स्वर्गीय गुलाबसिंह का दत्तक पुत्र (गोदपुत्र) विधिक वारिस उत्तराधिकारी होने से हक अधिकार होकर हिस्सा है, अर्थात उक्त कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 का 1/2 हिस्सा है। उक्त कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 के 1/2 हक हिस्से की कृषि भूमि में वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 के विधिक वारिसान उत्तराधिकारीगण होने से वादीगण का प्रतिवादी संख्या 01 के हक हिस्से की 1/2 हिस्सा कृषि भूमि में हक स्वत्व अधिकार होकर हिस्सा है, वादीगण वादवर्णित कृषि भूमि के हिस्से अनुसार मालिक स्वामी है, प्रतिवादी संख्या 01 व 02 लोभ व लालच की भावना से वसीभूत हो भू–माफियाओं के सम्पर्क में हो, मिलीभगत कर एवम् हम वादीगण को उक्त कृषि भूमि में अपने हक हिस्से से हमेशा के लिए महरूम रख हम वादीगण का उक्त कृषि भूमि में हक स्वत्व अधिकार खत्म करने की चेष्ठा एवं रंज व नुकसान पहुँचाने कि नियत से उक्त कृषि भूमि को अन्य अजनबी व्यक्तियों को विक्रय, रहन, बैह, बक्षीस एवं अन्य प्रकार से हस्तान्तरण कर खुर्द–बुर्द कर हम वादीगण के हितों पर कुठाराघात करने पर उतारू है, जबकि हम वादीगण का प्रतिवादी संख्या 01 के हक

हिस्से की कृषि भूमि में विधिक वारिसान उत्तराधिकारीगण होने से हक हिस्सा बनता है, प्रतिवादीगण को उक्त कृषि भूमि में हम वादीगण का हक स्वत्व खत्म करने व उक्त कृषि भूमि को किसी रहन, विक्रय, बैह, बक्षीस या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण करने का ही कोई विधिक अधिकार नहीं है, उक्त कृषि भूमि हम वादीगण की आजीविका का साधन है, यदि प्रतिवादीगण भूमाफियाओं से मिलीभगत कर उक्त कृषि भूमि किसी अन्य को विक्रय, रहन, बैह, बक्षीस या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण कर खुर्द–बुर्द कर देंगे, तो हम वादीगण उक्त कृषि भूमि में अपने हक हिस्से से हमेशा–हमेशा के लिए वंचित हो जावेंगे व हम वादीगण के हितो पर भारी कुठाराघात होगा एवं हम वादीगण को भारी अशोधनिय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन मुद्रा मे किया जाना असंभव होगा, हितों की रक्षा के लिए प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है, स्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का कोई नुकसान होने वाला नहीं है।

4. यह कि वाद कारण दिनांक 28–08–2021 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण ने उक्त कृषि भूमि अन्य अजनबी व्यक्यिों, को हस्तान्तरण कर खुर्द–बुर्द करने की धमकी दी तब उत्पन्न हुआ, व उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

5. अंत में निवेदन किया की वादीगण के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की डिकी प्रदान करायी जावे कि उक्त वर्णित कृषि भूमि मे वादींगण का हक, स्वत्व, अधिकार होकर हिस्सा है, उक्त कृषि भूमि में वादीगण का प्रतिवादी संख्या 01 के जायन्दा पुत्र, पुत्री, पत्नी, विधिक वारिसान उत्तराधिकारीगण होने से हक हिस्सा है, उक्त कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 के हक हिस्से कृषि भूमि में वादीगण के हक हिस्से की घोषणा करायी जावे अर्थात उक्त कृषि भूमि में वादीगण प्रत्येक का 1/10 हिस्सा घोषित कराया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे हम वादीगण के नाम का अंकन कराया जावे। वादीगण के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 उक्त वर्णित कृषि भूमि जिसमे वादींगण का प्रतिवादी संख्या 01 के जायन्दा पुत्र, पुत्री, पत्नी, विधिक वारिसान उत्तराधिकारीगण होने से हक हिस्सा है, तथा हम वादीगण उक्त कृषि भूमि के हिस्से अनुसार मालिक स्वामी है, प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 उक्त वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि को किसी अन्य को विकय, रहन, बैह, बक्षीस या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण कर खुर्द–बुर्द नहीं करे, प्रतिवादी संख्या 01 हम वादीगण का उक्त कृषि भूमि में हक, स्वत्व अधिकार खत्म नहीं करें, तथा हम वादीगण को उक्त कृषि भूमि में अपने हक हिस्से से वंचित नहीं करें, न बेदखल करें,

प्रतिवादीगण रेकर्ड एवं मौके की यथावत स्थिति बनाए रखें। इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा वादीगण के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी फरमाई जावे।

6. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 3, 4 प्रकरण में आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से जबाब दावा पेश नहीं करना चाहा है। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। प्रकरण में तनकीयात कायमी की आवश्यकता नही रहने से साक्ष्यवादी प्रारम्भ की गई। साक्ष्यवादी के तहत शपथ पत्र गवाह पी.डब्ल्यू 1 हरिसिंह पिता अर्जुनसिंह निवासी आसोलियो की मादड़ी द्वारा प्रस्तुत कर दस्तावेज मौजा मादडी आसोलिया की नकल जमाबन्दी 2055–58 की खाता संख्या 100 पेज 1 से प्रदर्श 1, मौजा आसोलियो की मादड़ी की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 की खाता संख्या 201 प्रदर्श 2, रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 27.08.2004 असल पेज 1 से 3 प्रदर्श 3 एवं छायाप्रति पत्रावली पर पेज 1 से 3 प्रदर्श 3ए करवाए गए।

7. अधिवक्ता वादी की दावा बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया की वादग्रस्त भूमि वादी की पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि में वादी का हक अधिकार जन्म से होने से खातेदारी अधिकारो की घोषणा कराने का अधिकारी है। वादी द्वारा दस्तावेज एवं गवाहो के बयानो से वाद को साबित कराने में सफल रहा है। अंत में निवेदन किया की वादी का वाद डिक्री किया जाकर वादी को हिस्सेनुसार खातेदार घोषित किया जावे।

8. हमनें विद्धवान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस को समायत किया, प्रकरण में वर्णित तथ्यों पर मनन् किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया । वादी द्वारा उक्त वाद वादग्रस्त भूमि में जन्म से अधिकार बताकर प्रस्तुत किया गया है। परन्तु वादपत्र में किसी प्रकार का कोई सजरा पेश नही किया। वादपत्र के ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह बात निर्विवादित रूप से स्पष्ट है कि वादी स्वयं अपने वाद पत्र की कलम संख्या 2 व 3 में मूल पुरूष गुलाबसिंह को बताया है। गुलाबसिंह प्रतिवादी संख्या 2 का पति है। इस प्रकार वादी द्वारा वाद पत्र में पूर्ण रूप से कोई सजरा नही दिया गया, ना ही स्पष्ट किया गया की गुलाबसिंह से पूर्व उक्त भूमि किसके नाम दर्ज थी। न ही वादग्रस्त आराजियात किस प्रकार से संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित मौरूसी सम्पत्ति है, इसका कोई भी वर्णन वादपत्र में नही किया गया है। इस कारण से वादग्रस्त आराजीयात मूल पुरूष गुलाबसिंह की होने के कारण उनकी मृत्यु के पश्चात धारा 8 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार उनके पुत्र, पुत्री, पत्नी में निहित हुई एवं वे ही प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी

है। परन्तु गुलाबसिंह के निधन के पश्चात उसके कोई पुत्र पुत्री नही होने से वादग्रस्त भूमि उसकी पत्नी प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज हुई। इस प्रकरण में विवाद मात्र प्रतिवादी संख्या 2 की सम्पत्ति तक ही सीमित है न्यायिक दृष्टांत ए.आई. आर. 2016 देहली पेज नम्बर 120 के अवलोकन अनुसार वादी को अपने वाद मे यह बताना आवश्यक है कि वादग्रस्त सम्पत्ति मौरूसी किस प्रकार से है। इस न्यायिक दृष्टांत में यह दर्शाया गया है कि "**No averment in the plaint that grandfather of claimant inherited property(S) from his paternal ancestors prior to 1956 – properties in the hands of late grandfather cannot be HUF properties in his hands – It can be said that suit does not disclose cause of action and hence liable to be dismissed.**" उक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि किसी भी वाद में मात्र यह अंकित कर देना कि वादग्रस्त आराजीयात मौरूसी सम्पत्ति है पर्याप्त नही है। वादीगण को अपने वादपत्र में बताना होगा कि वादग्रस्त आराजीयात किस प्रकार से मौरूसी सम्पत्ति है एवं मूल पुरूष की मृत्यु सन् 1956 ई. के पूर्व हुई है अथवा बाद में तथा सन् 1956 के पूर्व एच.यू.एफ. बनी थी अथवा नही। वादग्रस्त भूमि आज भी संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित संपति है या नही ? साथ ही मूल पुरूष गोदा जी को संपति कैसे प्राप्त हुई। मूल पुरूष गोदा जी की मृत्यु कब हुई ? ऐसा कोई भी तथ्य वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित नही किया गया है।

उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तो अनुसार वादीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत वादपत्र में भी ऐसे कोई तथ्य वर्णित नही किये गये है जिससे यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता हो कि वादग्रस्त आराजियात किस प्रकार से संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभक्त मौरूसी सम्पत्ति है। वाद पत्र की कलम संख्या 2 में वादी स्वयं यह स्वीकार कर रहा है कि वादग्रस्त भूमि गुलाबसिंह एवं गुलाबसिंह के अन्य भाईयो के नाम दर्ज थी। गुलाबसिंह के जीवनकाल में वादग्रस्त भूमि में ही सभी सहखातेदार के मध्य विभाजन हो गया तथा गुलाब सिंह के नाम पृथक से दर्ज हो गयी। इस प्रकार वादीगण के स्वयं के कथनो से ही यह साबित हो चुका है कि वादग्रस्त भूमि गुलाब सिंह के नाम विभाजन से दर्ज हुई है। तद्अनुसार भूमियां वादी की कोपार्सनरी अथवा सहदायिकी की नही हो सकती है। प्रकरण में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 व 6 के प्रावधान पूरी तरह स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के विपरीत होकर विधि विरूद्ध है। न्यायिक दृष्टांत 2008(2) आरएलडब्ल्यू (आरजे) पेज नम्बर 1115 अनुसार भूमियों का विभाजन होने के बाद वह संयुक्त हिन्दू

परिवार की सम्पति नहीं रहती है। जो इस प्रकरण में वादीगण स्वयं द्वारा वाद पत्र की कलम संख्या 2 में किए गए कथनो से स्पष्ट है।

वादपत्र की कलम संख्या 2 एवं संलग्न जमाबंदी प्रदर्श 1 अनुसार वादग्रस्त भूमि गुलाबसिंह पिता गिरधारीसिंह राव के नाम सहखातेदारी हक से दर्ज रिकॉर्ड थी। तत्पश्चात वादीगण के कथनानुसार वादग्रस्त भूमि का विभाजन होकर गुलाबसिंह पिता गिरधारीसिंह राव के नाम स्वतंत्र खातेदारी हक से दर्ज हुई। गुलाबसिंह पिता गिरधारीसिंह के निधन के पश्चात उसके कोई पुत्र एवं पुत्री संतान नही होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत उसकी पत्नी प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज हुई। प्रदर्श पी3ए रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 27.07.2004 को निष्पादित किया गया। अर्थात गोदनामा निष्पादित प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा करवाया गया। गोदनामें में प्रतिवादी संख्या 1 तथा उसके माता पिता के किसी प्रकार के कोई हस्ताक्षर व अगुंष्ठ निशानी नही है। न्यायालय का मानना है कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा निष्पादित गोदनामें से पूर्व ही वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज हो चुकी थी। प्रतिवादी संख्या 1 हिन्दु नारी है। इस संबंध में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 का उल्लेख किया जाना उचित है। जो इस प्रकार है :–

14. हिन्दू नारी की सम्पत्ति उसकी आत्यंतिकतः अपनी सम्पत्ति होगी (1) हिन्दू नारी के कब्जे में की कोई भी सम्पत्ति, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात् अर्जित की गई हो, उसके द्वारा पूर्ण स्वामी के तौर पर न कि परिसीमित स्वामी के तौर पर धारित की जाएगी।

स्पष्टीकरण– इस उपधारा में 'सम्पत्ति' के अंतर्गत वह जंगम और स्थावर सम्पत्ति आती है जो हिन्दू नारी ने विरासत द्वारा अथवा वसीयत द्वारा अथवा विभाजन में अथवा भरण–पोषण के या भरण–पोषण की बकाया के बदले में अथवा अपने विवाह के पूर्व या विवाह के समय या पश्चात् दान द्वारा किसी व्यक्ति से, चाहे वह सम्बन्धी हो या न हो, अथवा अपने कौशल या परिश्रम द्वारा अथवा क्रय द्वारा अथवा चिरभोग द्वारा अथवा किसी अन्य रीति से, चाहे वह कैसी ही क्यों न हो, अर्जित की हो और ऐसी सम्पत्ति भी जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से अव्यवहित पूर्व स्त्रीधन के रूप में उसके द्वारा धारित थी।

इस प्रकार हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 में स्पष्ट है किया गया है कि हिन्दु नारी की सम्पत्ति उसकी आत्यंतिकतः अपनी सम्पत्ति होगी (1) हिन्दू नारी के कब्जे में की कोई भी सम्पत्ति, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात् अर्जित की गई हो, उसके द्वारा पूर्ण स्वामी के तौर पर न कि परिसीमित स्वामी के तौर पर धारित की जाएगी। इस प्रकरण में भी प्रतिवादी संख्या 2 हिन्दु

नारी है। जिससे वादग्रस्त भूमि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत उसके पति से विरासत में प्राप्त हुई है। ऐसे में वादीगण द्वारा वाद पत्र में किए गए कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेज से स्पष्ट हो चुका है कि वादग्रस्त भूमि सहदायिकी की भूमि नही है। वादीगण का वाद हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 एवं 14 के विपरीत होकर विधि विरूद्ध है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादपत्र के बरूऐ ही वादीगण का वाद कोई वाद हेतुक प्रकट नही करता है। वादीगण का वाद वादीगण की प्लीडिंग्स एवं प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार भी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 व 14 के तहत विधि वर्जित है। उपर्युक्त न्यायायिक दृष्टांत एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 व 14 के तहत वादीगण का वाद खारिज योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 व 14 के तहत विधि वर्जित होकर मेंटेबल नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2026 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली
बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री हरिसिंह पिता अर्जुनसिंह जी जाति राव, आयु 25 वर्ष, निवासी आसोलियों की मादड़ी, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
2. श्री भरतसिंह पिता अर्जुनसिंह जी जाति राव, आयु 22 वर्ष, निवासी आसोलियों की मादड़ी, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
3. श्रीमती अर्चना पुत्री अर्जुनसिंह जी जाति राव, आयु 27 वर्ष, निवासी आसोलियों की मादड़ी, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
4. श्रीमती रुक्मण पत्नी अर्जुनसिंह जी जाति राव, आयु 48 वर्ष, निवासी आसोलियों की मादड़ी, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज०)

.....वादीगण

बनाम्

1. श्री अर्जुनसिंह मुतबन्ना गुलाबसिंह जी जाति राव, आयु 50 वर्ष, निवासी आसोलियों की मादड़ी, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
2. श्रीमती शान्ताबाई पत्नी स्वर्गीय गुलाबसिंह जी जाति राव, आयु 79 वर्ष, निवासी आसोलियों की मादड़ी, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
3. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार (भूमिधारी) मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
4. श्रीमान् उप पंजीयक महोदय मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
5. शाखा प्रबन्धक महोदय, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (एस.बी.आई.) शाखा नाहरमगरा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
6. स्टारलेण्ड रियल स्टेट प्रा.लि. जरिए डायरेक्टर श्री आदित्य कोचर पिता श्री चेतन्य कोचर, आयु 33 वर्ष, निवासी न्यू नवरत्न कॉम्पलेक्स, न्यू नवरतन रोड़ अनन्त स्नेह हाईट्स के पास गिर्वा उदयपुर, जिला–उदयपुर (राज०)

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 153/21 (वाद)
GCMS No. – 2021/300

यह वाद आज वास्ते अंतिम निर्णय हेतु पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. के समक्ष प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है किः–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 व 14 के तहत विधि वर्जित होकर मेंटेबल नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

यह आज तारीख 10.02.2026 को न्यायालय से मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली